

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 मई 2022—ज्येष्ठ 5, शक 1944

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मई 2022

क्र. एफ 10-06-2022-सत्रह-मेडि-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, सरोगेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 35(2) एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 12 (2) में प्रदत्त शक्तियों द्वारा जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेंसी प्राधिकारी का जिला स्तर पर गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र (1)	सदस्य (2)	पद (3)
1	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश	पदेन अध्यक्ष
2	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश	पदेन सदस्य
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश	सदस्य सचिव
4	अध्यक्ष द्वारा नामांकित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ/शिशु रोग विशेषज्ञ / रेडियोलॉजिस्ट	नामांकित सदस्य
5	जिला अभियोजन अधिकारी, मध्यप्रदेश	पदेन सदस्य

F-10-06-2022-XVII-Medi-2.—The State Government hereby, in exercise of the powers conferred by Section 35(2) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and Section 12(2) of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021, constitutes the District Appropriate Authority for Assisted Reproductive Technology and Surrogacy:—

S No. (1)	Member (2)	Designation (3)
1	Collector and Dist. Magistrate, Madhya Pradesh	Chairperson <i>Ex-officio</i>
2	Additional Collector/Joint Collector	Member <i>Ex-officio</i>
3	Chief Medical and Health Officer	Member Secretary <i>Ex-officio</i>
4	Chairperson nominated Gynecologist/Pediatrician/Radiologist	Nominated Member
5	District Prosecution Officer	Member, <i>Ex-officio</i>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, सचिव.